

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: 90A/JDA/2025-26/100432

दिनांक: 31/12/2025

लोक सूचना

श्री GANESH BAJAJ पुत्र श्री KULDEEP KUMAR BAJAJ जाति MAHAJAN निवासी PRABHU COLONY WARD NO. 24 BASSI, JAIPUR

श्री OM PRAKASH SHARMA पुत्र श्री RADHESHYAM SHARMA जाति BRAHMIN निवासी A-49 AZAD NAGAR AIRPORT CIRCLE SANGANER JAIPUR

श्री BHARAT LAL SHARMA पुत्र श्री SITA RAM SHARMA जाति BRAHMIN निवासी A-49 AZAD NAGAR AIRPORT CIRCLE SANGANER JAIPUR

श्री SHANKAR LAL MEENA पुत्र श्री HAR SAHAI MEENA जाति MEENA निवासी 36 DHAHAR TEH. CHAKSU JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रूपांतरण क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. 18 मन्दिर के पास ग्राम आलियाबाद तह.निवाई जिला टोक खातेदार	1017/232	0.13	0.13
2.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. 18 मन्दिर के पास ग्राम आलियाबाद तह.निवाई जिला टोक खातेदार	1019/234	0.1	0.1
3.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण नि.18 मन्दिर के पास ग्राम आलियाबाद तह.निवाई जिला टोक खातेदार	233	0.08	0.08
4.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) शंकरलाल पुत्र हरसहाय हिस्सा पूर्ण	238	0.3	0.3

		जाति मीना सा. डाहर खातेदार			
5.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) गणेश बजाज पुत्र कुलदीप कुमार बजाज हिस्सा पूर्ण जाति महाजन प्रभु कॉलोनी वार्ड नंबर 24 बस्सी जयपुर खातेदार	422	0.02	0.02
6.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) भरतलाल शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी ए 49 आजादनगर साँगानेर जयपुर खातेदार	423	0.03	0.03
7.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) भरतलाल शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी ए 49 आजादनगर साँगानेर जयपुर खातेदार	424	0.35	0.35
8.	सालगरामपुरा, चाकसू (जयपुर)	1.) भरतलाल शर्मा पुत्र सीताराम शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण निवासी ए 49 आजादनगर साँगानेर जयपुर खातेदार	425	0.22	0.22
कुल					1.23

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी **SSO ID** से लॉग इन कर **JDA** के **90-A** मॉड्यूल अथवा जे.डी.ए. पोर्टल (<https://jda.rajasthan.gov.in/>) पर "**विज्ञप्ति के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करें।**" Option में जाकर जारी सार्वजनिक सूचना के विरुद्ध अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कराएं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **31-12-2025** को जारी की गयी।

Newspaper name (as per roster)
DAINIK BHASKAR & JALTEDEEP

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

